किराये पर वाहन लिये जाने हेतु निविदा की आवश्यक शर्तेः–

01. निविदा प्रपत्र की बिक्री **अंतिम तिथिः 29.09.2020 को शाम 05:00** बजे तक निर्धारित है।

02. निविदा दो लिफाफा (Technical & Financial) दो मोहरबंद लिफाफे में **अंतिम तिथि 30.09.2020 को दोपहर 03:00 बजे** तक निर्धारित है। (विवरण कंडिका 30 में है)

03. निविदा खोले जाने की तिथि जमा किये जाने वाले **अंतिम तिथि के एक घंटे उपरांत 30.09.2020 को शाम 04:00 बजे** निर्धारित है

04. निविदाकर्ता, एक फर्म, एक संस्था या एक कंपनी के रूप में निविदा में सम्मिलित हो सकता है।

05. सभी निविदाकर्ता की उपस्थिति में निविदा जमा करने की अंतिम तिथि के एक घंटा उपरांत खोला जायेगा, यदि किसी कारण से निविदाकर्ता निविदा खोले जाने के समय पर उपस्थित नहीं होने की स्थिति में किसी प्रकार का विवाद मान्य नहीं होगा।

06. निविदा केवल स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री के माध्यम से प्रेशित किये जाने पर निविदा स्वीकार किया जायेगा, एवं निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् निविदा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

07. निविदा की दर एक वर्ष 31 मार्च 2021 तक मान्य होगी। आवश्यकतानुसार निविदा की अवधि आगे बढ़ाई जा सकती है।

08. जीप श्रेणी (जैसेः– बोलेरो, स्कार्पियों, सुमो इत्यादि) Taxi Permit वाहन ही टेंडर प्रक्रिया में शामिल की जावेगी।

09. निविदा प्रपत्र का मूल्य 1000/– रूपये अक्षरी (एक हजार रूपये मात्र) का डी.डी. (डीमाड ड्राफ्ट) जो की राश्ट्रकृत बैंक का हो एवं **"District Health Society Bemetara"** के नाम से देय होगा, अदा कर निविदा प्रपत्र प्राप्त किये जा सकेंगे, जो की राशि वापसी देय नहीं होगा।

10. आवेदक निविदाकर्ता को 3% 65000.00 रू. (अक्षरी पैसठ हजार रूपये मात्र) की अमानत राशि के रूप राष्ट्रीयकृत बैंक का डी. डी. (डीमाड ड्राफ्ट) **"District Health Society Bemetara"** के नाम जमा किया जाना अनिवार्य है। (डी.डी. का तकनीकी लिफाफे मे संलग्न करें।) जिसक बिना प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जावेगा एवं प्रस्ताव अमान्य किया जावेगा।

11. सफल निविदाकर्ता के अमानत राशि निविदा की वैद्य तिथि तक जिला स्वास्थ्य समिति जिला बेमेतरा के खाते में जमा रखी जायेगी, जिस पर किसी प्रकार का ब्याज दर देयक नहीं होगा।

12. निविदाकर्ता व्यक्तिगत छत्तीसगढ़ के निवासी हो/निविदाकर्ता का कार्यालय जिला/राज्य मे स्थापित हो इस संबंध में अभिप्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

13. निविदाकर्ता को पैन कार्ड एवं आधार कार्ड की छायाप्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है तथा निविदा दर भारतीय मानक रूपये मे अंकित किये जावे।

14. वाहन चालक का व्यय संबंधित वाहन मालिक द्वारा देय होगा। वाहन चालक अवकाश या अनुपलब्ध, अस्वथ्य होने पर वाहन मालिक को तत्काल दूसरे अर्हता प्राप्त वाहन चालक की व्यवस्था करनी होगी। यदि विभाग द्वारा वाहन चालक की जावेगी तो उसका भुगतान राशि वाहन मालिक को देय बिल से काट ली जावेगी जिसकी समस्त जवाबदारी वाहन मालिक की होगी तथा वाहन की मरम्मत, रख–रखाव एवं समस्त अन्य खर्चे वाहन मालिक द्वारा देय होगा।

15. वाहन दुर्घटना होने पर समस्त जवाबदारी वाहन मालिक की होगी एवं वाहन से संबंधित कोई भी मरम्मती कार्य वाहन मालिक द्वारा किया जावेगा।

16. वाहन का निर्माण वर्ष 2017 से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। इन वाहनो के पंजीयन संबंधित समस्त आवश्यक दस्तावेज की प्रतिलिपि संलग्न किया जावें।

17. किराये पर लिये गए वाहन अच्छी स्थिति में नहीं पाये जाने पर तत्काल हटा दिया जावेगा एवं देयक का भुगतान रोक दिया जावेगा। वाहन नये मॉडल/मेक का ही स्वीकार किया जावेगा।

18. विभागीय अधिकृत कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा समय–समय पर मौखिक/लिखित रू मे वाहन किराये पर परिस्थिति अनुसार मंगाये जा सकते है जो कि एक घण्टे पूर्व मौखिक/लिखित सूचना पर उपलब्ध कराना अनिवार्य हागा। विभागीय अधिकृत कार्यक्रम अधिकारियों की सूची समय–समय पर कार्यलय से उपलब्ध कराया जाएगा।

19. वाहन प्रदायकर्ता को अनिवार्य रूप से देयक प्रति माह 05 तारीख के पूर्व समस्त वाहन उपयोगकर्ता अधिकारियों/कर्मचारियों के हस्ताक्षरित लॉगबुक एवं कार्यदेश की प्रति के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। सभी भुगतान प्रचलित आयकर नियमानुसार कटौती उपरांत ही भुगतान किये जावेगे। विलंब से देयक प्रस्तुत किये जाने पर देयक राशि में से 2% तक की कटौती कर भुगतान की जाने पर स्वयं जिम्मेदार होगी। भुगतान शासन से समय–समय पर प्राप्त निर्देश एवं आंबटन के अनुसार नियमानुसार किया जावेगा जो कि सफल निविदाकर्ता को मान्य होगा।

Scanned with CamScanner

20 निविदाकर्ता को दैनिक/मासिक आधार पर वाहन किराये पर लगाया जाना है, ईंधन का भुगतान वाहन द्वारा चलित दूरी के औसत अनुसार वाहन मालिक को भुगतान किया जावेगा।

21 वाहन के समस्त कागजात परिवहन विभाग के नियमानुसार होना अनिवार्य होगा। वाहन का रोड टैक्स/बीमा/सेवा एवं अन्य सभी प्रकार के शुल्क आदि का भुगतान वाहन मालिक द्वारा किया जावेगा।

22 वाहन का रोड टैक्स, आरसी बुक एवं बीमा (कॉमर्शियल) अद्यतन होना चाहिए। जिसकी छायाप्रति कार्यालय में जमा किया जाना अनिवार्य होगा। (तकनीकी लिफाफे में संलग्न करें।)

23 वाहन का मुख्यालय जिला कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/खण्ड चिकित्सा अधिकारी में अनिवार्य होगा, वाहन मुख्यालय में नही रखे जाने पर निविदा/शिकायत प्राप्त होने पर बिना सूचना के निविदा समाप्त कर दी जावेगी।

24 वाहन की लॉगबुक/लॉग कार्ड प्रतिदिन अनिवार्य रूप से वाहन चालक को नियमानुसार भरना होगा एवं संबंधित अधिकारी से प्रतिदिन हस्ताक्षर लिया जाना होग व उक्त लॉग बुक/लॉग कार्ड मूलतः कार्यालय में देयक के साथ जमा करना होगा जो कि शासकीय अभिलेख होगा। देयकों का भुगतान, उपयोगकर्ता अधिकारी के सत्यापन पश्चात् मासिक आधार पर किया जावेगा तथा अवकाश दिवसों में भी आवश्यतानुसार वाहन प्रदाय किया जाना अनिवार्य होगा, जिस हेतु अतिरिक्त भुगतान नही किया जावेगा।

25\. निविदाकर्ता को GST (Goods & Service Tax) में पंजिकृत होना अनिवार्य है GST पंजियन की छायाप्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

26\. जीएसटी एवं समस्त करो की राशि वित्तीय निविदा (Financial Bid) में शमिल कर ही मान्य किया जावेगा।

27\. चयन प्रक्रिया L1 दर के आधार पर की जावेगी।

28\. स्वीकृत दर पर आवश्यतानुसार वाहन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित फर्म/संस्थान/कंपनी की होगी एवं वाहन मुख्यालय में रखा जाना अनिवार्य होगा तथा वाहन की अनुपलब्धता/विलम्ब/असंतुष्टि तथा वाहन मुख्यालय में नही रखने की स्थिति मे फर्म/संस्थान/कंपनी के विरूद्व कठोर कार्यवाही करते हुए अपात्र (Black Listed) घोषित कर अनुबंध तत्काल समाप्त किया जावेगा। तथा किसी अन्य शासकीय संस्थान में उक्त सेवा हेतु वर्जित किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।

29\. वाहन चालक द्वारा तम्बाकू, शराब, सिगरेट, गांजा इत्यादि के सेवन एवं अभद्र व्यवहार की दशा में बिना सूचना के अनुबंध समाप्त किया जावेगा।

30\. परिशिष्ट– (अ एवं ब) तथा अन्य दस्तावेज तकनीकी लिफाफे पे संलग्न किया जाना अनिवार्य है। लिफाफे पर तकनीकी बिड अंकित किया जावें एवं परिशिष्ट–(स) वित्तीय दर लिफाफे को अलग से संलग्न किया जाना अनिवार्य है, एक बड़े लिफाफे में सील बंद कर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बेमेतरा (छ.ग.) में दिनांक 30.09.2020 को समय दोपहर 03:00 बजे जमा किया जाना अनिवार्य है। उचित परिष्ठ अनुसार निविदा आवेदन नहीं किये जाने पर निविदा आवेदन अमान्य किया जावेगा।

31\. निविदा खोलने पर सर्वप्रथम तकनीकी निविदा खोला जावेगा ततपश्चात संतुष्टि की दशा में वित्तीय निविदा खोला जावेगा।

32\. किसी भी स्थिति में उपरोक्त शर्तों को पूरा नही किये जाने वाले निविदाकर्ता के प्रस्ताव को अस्वीकार व अमान्य किया जायेगा। निविदा प्रक्रिया निरस्त किये जाने व आवश्यक संशोधन का सम्पूर्ण अधिकार निविदा के संबंध में गठित समिति जिला स्वास्थ्य समिति जिला बेमेतरा छ.ग. को होगा

33\. विभाग द्वारा वाहन अनुबंध को 15 दिवस की पूर्व सूचना पर अपना वाहन हटाने का विकल्प होगा।

34\. राष्ट्रीय कार्यक्रम के प्रचार--प्रसार संबंधित पोस्टर वाहन पर चस्पा करवाना अनिवार्य होगा।

35\. निविदा वाहनों की आवश्कतानुसार वाहन की संख्या घटाने व बढ़ाने का सम्पूर्ण अधिकार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का होगा। चयनित निविदाकर्ता मान्य होगा।

36 आपात स्थिति में निविदा दर पर किसी भी फर्म/संस्था/कंपनी से कार्य लिया जा सकेगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

37\. निविदा खोलने की अंतिम तिथि एवं समय में अपरिहार्य कारणों से परिवर्तन किया जा सकता है।

38\. निविदा शर्तों में परिर्वतन की स्थिति में विसंगति की स्थिति में एवं न्यायलयीन प्रकरण की स्थिति में निविदा निरस्त किये जाने का अधिकार जिला स्वास्थ्य समिति बेमेतरा के पास सुरक्षित रहेगा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला–बेमेतरा (छ.ग.)

Scanned with CamScanner